11/3/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान
उपस्थित। प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act
प्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता
है तथा न्यायालय द्वारा जारी की गई अस्थाई
निषेधाज्ञा दि० 23.2.22 निरस्त की जाती है।
जवाब पृथक से लिखवाया जाकर इश्यू. जारी किया
गया। पत्रा० फेसल सुनार होकर बाद वकील
वकील प्रा.पत्र के जवाबदावा बाद पत्र के संलग्न
की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

निर्णय बइजालास मनीषा तिवारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं/487/प्रार्थना पत्र/2022

तारीख दायरा:— 27.9.2016

उनवान

1. रामकन्या पत्नि किशनलाल जाति भील निवासी झालावाड़
2. जगनाथ पुत्र किशनलाल जाति भील निवासी झालावाड़
3. मनीष पुत्र राधेश्याम जाति भील निवासी झालावाड़
4. चन्दा पुत्री स्व. राधेश्याम जाति भील निवासी झालावाड़
5. जया पुत्री स्व. राधेश्याम जाति भील निवासी झालावाड़
6. कस्तूर बाई बैवा हीरालाल जाति भील निवासी झालावाड़
7. गीताबाई पुत्री हीरालाल पत्नि घनश्याम जाति भील निवासी झालावाड़

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति भूली बाई बेवा मदनलाल जाति कहार
2. कमलाबाई पुत्री मदनलाल जाति कहार
3. जगन बाई पुत्री मदनलाल जाति कहार
4. रतनबाई पुत्री मदनलाल जाति कहार
5. गुड्डीबाई पुत्री मदनलाल जाति कहार
6. ओम प्रकाश पुत्र मदनलाल जाति कहार
7. बहादुर पुत्र मदनलाल जाति कहार
8. सुशीलाल पुत्री मदनलाल जाति कहार
9. रविकुमार पुत्र मदनलाल जाति कहार
10. मंजु पुत्री मदनलाल जाति कहार निवासियान झालावाड़
11. ओम प्रकाश पुत्र दुलीचंद जाति ब्राहम्ण निवासी झालावाड़
12. रमेश कुंवर पत्नि कल्याणसिंह जाति राजपूत
13. ब्रजेन्द्र पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राहमण
14. अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल रहमान चौधरी जाति मुसलमान निवासी खण्डिया
15. विपिन जैन पुत्र महावीर जैन निवासी झालरापाटन
16. सोनम मंगल पुत्र राहुल मित्तल जाति महाजन निवासी झालावाड़
17. कमलाबाई पुत्री हीरालाल जाति भील निवासी दुर्गपुरा
18. राधाबाई बेवा बाबू जाति भील निवासी झालावाड़
19. सुरेश पुत्र बाबू जाति भील निवासी झालावाड़
20. प्रेमचन्द्र पुत्र बाबू जाति भील निवासी झालावाड़
21. सुनिता पुत्री बाबू जाति भील निवासी झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

22. मंजु पुत्री बाबू जाति भील निवासी झालावाड़
23. हेमा पुत्री बाबू जाति भील निवासी झालावाड़
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टीनन्सी एक्ट तथा
आर्डर 39नियम 1 व 2 एवं धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित—विद्वान अभिभाषक — श्री श्याम सुन्दर शर्मा प्रार्थीगण
विद्वान अभिभाषक — श्री रामबाबू माहेश्वरी अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज.)

दिनांक — 03.11. 2022

उक्त प्रार्थना पत्र की तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गुढ़ा तहसील झालरापाटन की खसरा नम्बर 27 रकबा 01 बीघा खसरा नम्बर 28 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 29 रकबा 16 बिस्वा, एंव खसरा नम्बर 30 रकबा 05 बिस्वा कुल किता —4 कुल रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । सेटलमेंट से पूर्व इस आराजी के साबिक खसरा नम्बर 10/48 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 10/8 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 10/57 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 03 की 6 बीघा 09 बिस्वा भूमि थी । जो सेटमेंन्ट से पूर्व गोरधन पुत्र खुमान भील निवासी झालावाड़ के खाते दर्ज थी । सेटलमेंट से पूर्व गोरधन की मृत्यु हो जाने से गलत तरीके से मदनलाल कहार ने अपने खाते करवाली । उक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व गोरधन पुत्र खुमान के खाते दर्ज थी तथा उनके कब्जे काश्त में थी । सेटलमेंट से कुल अर्सा पूर्व गोरधन का देहान्त हो गया । सेटलमेंन्ट के दौरान मदनलाल पुत्र मेघा जाति कहार निवासी झालावाड़ के खाते अवैधानिक तरीके सेटलमेंट अधिकारियों ने दर्ज करदी । सक्षम अधिकारी के विधि सम्मत आदेश के बिना अनुसूचित जन जाति के खातेदार की भूमि को सवर्ण के खाते रिकार्ड में दर्ज करदी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) के प्रावधानों के प्रतिकूल है । हस्तान्तरण की जानकारी गोरधन के वारिसान पुत्र किशनलाल व हीरालाल को नहीं हो पायी क्योंकि वह निर्बाध अपने पिता के खाते की विवादित भूमि पर खेती कर रहे थे उनका शांतिपूर्ण कब्जा काश्त था । किशनलाल की मृत्यु हो गई तो उनके वारिसान प्रार्थी कम 1 ने अपने बच्चों के लालन पालन के लिए नोकरी करली तथा अधिकारी समय झालावाड़ से बाहर रहीं और खेतीबाडी का सारा कार्य हीरालाल देखते रहे । मदनलाल द्वारा वर्षो तक खाते में किसी इन्द्राज की जानकारी किसी को नहीं दी और ना ही प्रार्थीगण को इसकी जानकारी हुई क्योंकि भूमि पर हीरालाल व प्रार्थीगण का शांतिपूर्ण कब्जा चला आ रहा था । मदनलाल द्वारा मा0 न्यायालय में हीरालाल के विरूद्ध धारा 183, 188 राजस्थान टीनेन्सी के तहत राजस्व रिकार्ड में किसी गये अवैधानिक इन्द्राजात के आधार पर खारिज कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

कि सेटलमेंट ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया तथा अनुसूचिज जाति के खाते से भूमि गलत तरीके से सवर्ण के खाते दर्ज की है तथा दूसरे पक्ष को इन्द्राज दुरूस्ती कराने का पात्र माना है । मदनलाल द्वारा अपील मा0 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसकी जिसकी अपील संख्या 106/1993 है जिसमें दिनांक 11.9.1998 को निर्णित कर दिया । अपीलान्ट को खातेदार नहीं माना गया । विधि सम्मत निर्णयों के अनुसार अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 कानूनी रूप से भूमि के खतेदार नहीं रहे लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया जो पूर्णतः अवैधानिक है एवं कानून की दृष्टि से शून्य है । अप्रार्थी सं0 2 व उसके बाई को जानकारी होने पर भूमि पर गये तो अप्रार्थी क्रम 14 मिला उसने कहा कि भूमि हमने खरीदली है, तुम जमीन पर आये तो ठीक नहीं होगा । उक्त भूमि अप्रार्थी नं0 14 ने अप्रार्थी नम्बर 15 व 16 को बैचान करदी जो भूमि पर जबरन अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर प्लाट काटना प्रारम्भ कर दिया है भूमि को प्लॉट काटकर खुर्द–बुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के पात्र हैं । सुविधाओं का संतुलन एवं प्रथम दृष्टतया प्रकरण भी प्रार्थीगण/वादीगण के हक में है अतः अप्रार्थी संख्या 15 व 16 के विरूद्व तथा प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थई निषेधाज्ञा जारी कर उन्हें भूमि पर अतिक्रमण कर प्लाट काटकर खुर्द–बुर्द नहीं करने बेजा मदालखलत व मजाहमत नहीं करने के लिए पाबन्द किया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम दृष्टाया वकील प्रार्थी ने प्रकरण अत्यावश्यक प्रवृति का होने के फलस्वरूप वकील प्रार्थी की विशेष इस्तदुआ पर एकतरफा बहस सुनी गई तथा प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 23.2.2022 को अप्रार्थी संख्या 15 व 16 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाकर स्थगन आदेश जारी किया गया था तथा पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण में रखी गई थी । वकील अप्रार्थी ने दिनांक 6.9.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल फाईल किया गया । पत्रावली बहस प्रार्थना में नियत की गई ।

पत्रावली में दिनांक 15.9.2022 को वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अधोपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई गलती को आधार बनाते हुए तर्क दिया है कि प्रश्नगत आराजी गोरधन पुत्र गुमानसिंह भील के खाते से गलत तरीके से हटाई जाकर के मदनलाल पुत्र मेघा, कहार झालावाड़ के खाते दर्ज करदी गई लेकिन पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है ना ही ऐसा कोई रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है जिससे सेटलमेंट द्वारा की गई गलती स्पष्ट की हो । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 6 में यह अंकित किया है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के अनुसूचित जाति की जमीन को सवर्ण के खाते गलत तरीके से दर्ज कर दिया जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 बी के प्रावधानों के प्रतिकूल है । तथा दूसरे पक्ष को इन्द्राज दुरूस्ती कराने का पात्र माना जाना चाहिए । प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित वाद पत्र 53, 88, 188, 209 राज0 टीनेन्सी एक्ट के तहत घोषणात्मक खातेदारी एवं बटवारे से सम्बन्धित अस्थाई निषेधाज्ञा का 212 राज0 टीनेन्सी एक्ट पेश किया गया है जिसमें न्यायालय द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

वकील प्रार्थी की विशेष इस्तदुआ पर एकतरफा बहस सुन कर के दिनांक 23.2.2022 को स्थगन आदेश अप्रार्थी संख्या 15 व 16 के विरूद्व जारी किया गया था । प्रार्थी द्वारा जब यह माना गया कि प्रश्नगत आराजी सेटलमेंट के द्वारा गलत तरीके से अनुसूचित जाति की जमीन को सवर्ण के खाते लगा दिया गया है तथा धारा 42 बी राज0 टीनेन्सी एक्ट का उल्लघंन हुआ है तो प्रार्थी को इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में सम्बन्धित धाराओं में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था जो प्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है । तथा सीधे ही घोषणात्मक खातेदारी एवं बटवारा का दावा न्यायालय में पेश कर दिया गया है तो उचित नहीं है । प्रार्थी के पक्ष में जो स्थगन आदेश विरूद्व अप्रार्थीगण 15 व 16 दिया गया है वह प्रथम दृष्टया जारी किया गया था जिसके विरूद्व अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उससे सहमति जताते हुए जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण 15 व 16 निरस्त किये जाने योग्य प्रतीत होती है । क्योंकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि सेटलमेंट विभाग ने मनमाने गलत तरीके से प्रश्नगत आराजी अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की जमीन सवर्ण के खाते दर्ज करदी हो । प्रार्थी ने यथा समय सेटलमेंट की गलती के माध्यम से हुए इन्द्राज को सक्षम न्यायालय में यथासमय चुनौती नहीं दी गई और ना ही प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में कोई अनुतोष चाहा । विचाराधीन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के द्वारा प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित जो दावा पेश किया है उसमें कहीं भी न्यायालय से समयावधि समाप्ति को बढ़ाये जाने से प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है । उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है । तथा प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है साथ ही न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23.02.2022 विरूद्व अप्रार्थी संख्या 15 व 16 निरस्त की जाती है । प्रार्थना पत्र फैसले में शुमार होकर सम्बन्धित वाद पत्र में शामिल किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 03.11..2022 को मैरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़